सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0–76/2023 **दिनांक– 25 फरवरी 2023**

प्रेस- विज्ञप्ति

थाना- निजामाबाद

दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक 21.02.2023 को वादी सियाराम यादव पुत्र स्व0 रामसम्हार यादव निवासी बहाउद्दीनपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादी की लड़की आराधना की शादी 10.02.2022 को अरविन्द कुमार यादव पुत्र स्व0 अवधेश यादव निवासी जमालपुर थाना सिधारी आजमगढ के साथ हुई थी शादी के बाद से ही अरविन्द कुमार व उनके भाई अनिल यादव व मामा गुल्लू, लल्लू यादव पुत्रगण स्व0 रामलखन यादव निवासीगण महमूदपुर थाना निजामाबाद आजमगढ , मौसी प्रमीला देवी, संगीता देवी द्वारा दहेज की बात को लेकर मारने व दुर्व्यवहार करने तथा प्रताड़ित करने व दहेज की बात को लेकर दिनांक 20/21.02.2023 की रात में सभी लोगों ने मिलकर वादी की लड़की आराधना की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 80/23 धारा 498ए/304बी/504 भादवि व 3 /4 डीपी एक्ट पंजीकृत होकर विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर महोदय द्वारा की जा रही है।

2. गिरफ्तारी का विवरण –दिनांक 25.02.2023 को प्रभारी उ0नि0 धनन्जय प्रसाद शुक्ला मय हमराह द्वारा फरीदाबाद तिराहे से वांछित अभियुक्तगण 1. लल्लू पुत्र स्व0 रामलखन निवासी महमूदपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ 2. अनिल यादव पुत्र स्व0 अवधेश यादव 3. अरबिन्द यादव पुत्र स्व0 अवधेश यादव निवासी जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 4. प्रमिला पत्नी धनन्जय निवासी बहाउद्दीनपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ को समय करीब 11.55 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 80/23 धारा 498ए/304बी/504 भादवि व 3 /4 डीपी एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास – उपरोक्त अभियोग

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. लल्लू पुत्र स्व0 रामलखन निवासी महमूदपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ
2. अनिल यादव पुत्र स्व0 अवधेश यादव
3. अरबिन्द यादव पुत्र स्व0 अवधेश यादव निवासी जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
4. प्रमिला पत्नी धनन्जय निवासी बहाउद्दीनपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 धनन्जय प्रसाद शुक्ला मय हमराह थाना निजामाबाद, आजमगढ़

थाना सरायमीर

थाना स्थानीय के वान्छित अभियुक्त मो0 दानिश पुत्र मो0 आरिफ निवासी नन्दांव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ जो मु0अ0सं0 278/1999 धारा 302 में मा0 न्यायालय एएसजे/एफटीसी-1 कोर्ट जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 09.09.2020 को एनबीडब्लू स्थायी वारण्ट जारी किया गया था। जिसके सम्बन्ध में श्रीमान् पुलिस उप-महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा दिनांक 21.12.2022 को 50,000/- रूपये पुरष्कार घोषित किया गया था। जिसकी गिरफ्तारी जनपद ठाणे (महाराष्ट्र) से एसटीएफ टीम व सरायमीर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय जनपद ठाणे (महाराष्ट्र) से ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर नियमानुसार मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ में अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया। मा0 न्यायालय के आदेशानुसार जिला कारागार जनपद आजमगढ़ दाखिल किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1- मो0 दानिश पुत्र मो0 आरिफ निवासी नन्दांव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 278/1999 धारा 302 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ एस0टी0 नं0 109/2000
2. मु0अ0सं0 680/2007 धारा 323/498ए/504/506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जावेद सिद्दीकी एसटीएफ मुख्याल लखनऊ
2. विवेक पाण्डेय थानाध्यक्ष थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 मृत्युंजय सिंह एसटीएफ मुख्याल लखनऊ

पुरष्कार की धनराशि- 50000/-

थाना- बरदह

चोरी की घटना अनावरण; चोरी के बकरे के साथ शातिर चोर गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक 16.02.23 को वादी श्री सिराज अहमद पुत्र स्व0 सलीम ग्राम बरौना पो0 बरौना थाना -बरदह , जिला -आजमगढ ने थाना स्थानीय पर शिकायत पर शिकायत किया कि दिनांक 14.02.23 की रात्रि लगभग 07.30 बजे अज्ञात चोर द्वारा घर मे घुसकर घर मे बंधे चार बकरे मे से दो बकरा चुरा ले जाना के संबंध मे थानास्थानीय पर मु0अ0सं0 65/23 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिह द्वारा सम्पादित की गई इसी क्रम मे दौराने विवेचना अभि0गँण 1. कैश पुत्र गुलाम सिद्दिक निवासी अर्जन मोहल्ला थाना कोतवाली जौनपुर 2. शहनवाज 3. अब्दुल रहमान पुत्रगण मु0 जब्बार निवासीगण प्रेमापुर थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर 4. सलीम उर्फ बबलू पुत्र निजामुद्दीन निवासी बरौना थाना बरदह आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया तथा मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भा0द0वि0 बढोत्तरी की गई इसी क्रम मे –

दिनांक 25.02.23 को उ0नि0 उ0नि0 महेन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त 1. नाम शहनवाज पुत्र मु0 जब्बार निवासी प्रेमापुर थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर 2. कैश पुत्र गुलाम सिद्दिक निवासी अर्जुन मोहल्ला चौकी सकरमण्डी थाना कोतवाली जौनपुर को बर्रा तिराहे के पास यूकोलिप्टस के नीचे एक बकरे के साथ समय 11.30 हिरासत पुलिस में लिया गया।

पूछताछ का विवरण-. गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि साहब अभी जो दो ब्यक्ति भागे है उसमें एक सलीम उर्फ बबलू पुत्र निजामुद्दीन बरौना का रहने वाला है तथा दूसरा मेरा भाई अब्दुल रहमान था। हम लोग बकरे का कारोबार करते है करीब 10 दिन पहले सलीम ने बताया कि हमारे गांव में सिराज अहमद के पास दो बकरे है उसका घर एकान्त में है वह शाम को बाजार में मुर्गा काटता है। घर पर कोई नही रहता है। वह बकरे हम लोगो को आसानी से मिल सकते है इस पर मै अपने भाई अब्दुल रहमान के साथ सलीम के बुलाने पर उसके घर आये तथा सलीम के साथ हम दोनो ब्यक्ति शाम को अंधेरा होने पर सिराज अहमद के घर गये वहां पर दो बकरे थे घर पर कोई नही था हम लोग दोनो बकरे लेकर चले गये एक बकरा सलीम को दे दिये तथा दूसरा बकरा उसी दिन लेकर अपने घर चले गये। जिसे 12000/- रूपये में कैश पुत्र गुलाम सिद्दिक को बेच दिये तथा हम तीनो लोग आपस में पैसे बाट लिये थे मेरे पास जो पैसा मिला है उसी बकरे के बिक्री का है। जिस बकरे को सलीम ले गया था उसे बेचवाने के लिए अपने भाई के साथ कैश को लेकर यहां आये थे इस बकरे को भी 10000/- में कैश को बेच दिये है इसका पैसा कैश बाद में देगा। कैश से पूछताछ करने पर बताया कि मेरी मीट की दुकान है मै बकरे खरीदकर उसे काटकर मांस बेचता हूँ। ये लोग बकरे चोरी करके ले आते है तथा मुझे कम पैसे में बेच देते है जिसे मैं काटकर उसका मांस बेच देता हूँ। एक सप्ताह पहले शहनवाज व अब्दुल रहमान मुझे 12000/- में बकरे बेचे थे जिसे मैं काटकर बेच चुका हूं तथा इन लोगो को पैसे भी दे चुका हूं आज दूसरा बकरा खरीदने आया था। हम दोनो लोग पकड़ा गये सलीम और अब्दुल रहमान भागने में सफल हो गये।

पंजीकृत अभियोग -

1- मु0अ0सं0 65/23 धारा 380/411 भादवि थाना बरदह आजमगढ

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नाम शहनवाज पुत्र मु0 जब्बार निवासी प्रेमापुर थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर
2. कैश पुत्र गुलाम सिद्दिक निवासी अर्जुन मोहल्ला चौकी सकरमण्डी थाना कोतवाली जौनपुर

बरामदगी-

01 चोरी गया बकरा व 2000/- रूपया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

महेन्द्र प्रताप सिह (उ0नि0) थाना बरदह आजमगढ

हे0का0 संतोष यादव (आरक्षी) थाना बरदह आजमगढ

का0 इन्लेश यादव (आरक्षी) थाना बरदह आजमगढ

थाना- मेंहनगर

शातिर गौ तस्कर अपराधी अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

दिनांक 25.02.23 को उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह द्वारा चेकिंग मे टोडरपुर मोड़ मे मौजूद थे कि एक मैजिक सिहपुर की तरफ से आती हुई दिखाई दिये टार्च की रोशनी मे रोकने का प्रयास किया गया कि गाडी मोडकर पुनः सिहपुर के तरफ भागने लगा जिसे घेर कर रोक लिया गया ड्राईवर की सीट पर बैठा व्यक्ति व बाये सीट पर बैठा व्यक्ति को हिरासत मे लिया गया तथा एक व्यक्ति जो ट्राली मे बैठा था कुद कर रात्रि का लाभ लेकर भाग गया पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गता तो अपना नाम क्रमशः 1.आशीष सरोज पुत्र मुन्नीलाल सरोज ग्राम सुल्तानीपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ व 2.कलामुद्दीन उर्फ गाना पुत्र शमसुद्दीन निवासी ग्राम फत्तेपुर नट बस्ती थाना मेहनगर जनपद आजमगढ बताया तथा भागने वाले व्यक्ति नाम का नाम पूछा गया तो ज्ञान यादव पुत्र पारस यादव ग्राम

टोडरपुर थाना मेहनगर आजमगढ बताये पकड़े व्यक्तियों मे कलामुद्दीन उर्फ गाना पुत्र शमसुद्दीन निवासी ग्राम फत्तेपुर नट बस्ती थाना मेहनगर जनपद आजमगढ के पास से एक अदद तमंचा 12 बोर व दो अदद जिन्दा कारतुस 12 बोर बरामद हुआ तमंचा व कारतुस रखने के सम्बन्ध मे अधिकार पत्र माँगा गया तो दिखाने से कासिर रहा तथा मैजिक मे एक राशि गाय व एक राशि बछिया बरामद हुई अभियुक्तगण का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध बताकर समय करीब 04.25 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 73/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 11 पशु क्रुरता अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु.अ.सं. 73/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास मुकदमा उपरोक्त।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1.आशीष सरोज पुत्र मुन्नीलाल सरोज ग्राम सुल्तानीपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ

2. कलामुद्दीन उर्फ गाना पुत्र शमसुद्दीन निवासी ग्राम फत्तेपुर नट बस्ती थाना मेहनगर जनपद आजमगढ

बरामदगी –

1.एक रात्रि गाय व एक रात्रि बछिया

2.एक अदद तमंचा 12 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतुस 12 बोर

3.एक अदद मैजिक UP 60 AT 7555

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह का0 हेमचन्द्र का0 ललित सरोज व का0मुकेश यादव

थाना दीदारगंज

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 25/02/2023 को प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिह मय हमराह को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम महुवारा कला जाने वाले रास्ते पर इदगाह के पास खडा है जो किसी व्यक्ति के आने का इन्तजार कर रहा है। उसके पास नाजायज तमन्चा व कारतूस है। इस सूचना पर पुलिस ने मौके से पकड़ लिया गया उसने अपना नाम प्रहलाद राजभर पुत्र स्व0 छन्गुलाल राजभर उम्र 35 वर्ष ग्राम महुवाराखुर्द थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ बताया तथा तलाशी से एक अदद तमन्चा 315 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ पकडे गये व्यक्ति प्रहलाद राजभर पुत्र स्व0 छन्गुलाल राजभर उपरोक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/25 A ACT का दण्डनीय अपराध है अपराध का बोध कराकर कारण गिरफ्तारी बता कर अभियुक्त प्रहलाद राजभर पुत्र छन्गुलाल राजभर ग्राम महुवाराखुर्दा थाना दीदारगंज आजमगढ उपरोक्त को समय लगभग 06.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिय़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. प्रहलाद राजभर पुत्र स्व0 छन्गुलाल राजभर उम्र 35 वर्ष ग्राम महुवाराखुर्द थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	19/19	401/419/420 भादवि	जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल	कानपुर नगर
2	16/19	411/414/419/420 भादवि	जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल	कानपुर नगर
3	42/2023	3/25 आर्म्स एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़

घटनास्थल- महुवारा कला जाने वाले रास्ते पर इदगाह के पास

बरामदगी-

1-एक अदद तमन्चा 315 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. प्र0नि0 विजय प्रताप सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज आजमगढ़